मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अजमेर के केकड़ी में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इस अवसर उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी दी।

मुख्यमंत्री ने केकड़ी में 1 हजार करोड़ के कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया

उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया

अजमेर/जयपुर, 22 जुलाई। मंगलवार को अजमेर के केकड़ी में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में हो रही अच्छी बारिश प्रदेश में धन-धान्य, खुशहाली एवं समृद्धि आने का शुभ संकेत है। हमने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए पिछले वर्ष हमने साढ़े सात करोड़ पौधे लगाए। अब इस वर्ष प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाली तीज के दिन भी हम सघन वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। हम 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 50 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं।

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल ने महीने में एक दिन ग्राम स्तर पर शिविर लगाने की घोषणा की, जिसमें आमजन के विभिन्न कार्य स्थानीय स्तर पर हो सकेंगे।**

उन्होंने कहा कि हम देश में अपनी तरह की पहली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू कर 10 हजार गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर महीने में एक दिन शिविर लगाएगी, जिसमें आमजन के विभिन्न कार्य स्थानीय स्तर पर ही हो सकेंगे।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रु. से अधिक की महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं की हैं, जो इस क्षेत्र को विकास के नए शिखर पर ले जाएंगी। मुख्यमंत्री ने केकड़ी में लगभग 423 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत केकड़ी-सरवाड़ क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति प्रणाली का शिलान्यास किया। केकड़ी विधानसभा के 157 गांवों को शुद्ध पेयजल के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से क्लस्टर पंपिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक और वितरण प्रणाली स्थापित करने के कार्यों का भी आज शिलान्यास किया गया।

समारोह में मुख्यमंत्री ने 291 करोड़ रुपये की लागत से बीसलपुर बांध पैकेज-2 के अंतर्गत, बीसलपुर बांध से केकड़ी तक वर्षा जल की ट्रांसमिशन मुख्य प्रणाली और इनटेक पर इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य का भी शिलान्यास किया। (विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में राज्य सरकार द्वारा हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री एक विजन बनाकर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यहां रक्तदान शिविर का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने परिसर में पीपल का पौधा भी लगाया। समारोह में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, नये उपराष्ट्रपति का चुनाव शीघ्र होगा

राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही उपसभापति हरिवंश चलायेंगे

नई दिल्ली, 22 जुलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बीते दिन ही धनखड़ ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र भेजकर पद से इस्तीफे की बात कही थी। उन्होंने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। मंगलवार को राज्यसभा को जगदीप धनखड़ के तत्काल प्रभाव से इस्तीफे के संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना (दिनांक 22 जुलाई) के बारे में सूचित किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने लिखा, जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

■ **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखी पोस्ट में जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और उनकी प्रशंसा की।**

उपराष्ट्रपति के पद छोड़ने के साथ ही राज्यसभा के सभापति पद भी स्वत: रिक्त हो गया। उपराष्ट्रपति उच्चसदन के पदेन सभापति होते हैं। ऐसे में अब, जब इस्तीफा मंजूर हो गया है तो मानसून सत्र में राज्यसभा की पूरी कार्यवाही उपसभापति हरिवंश चलाएंगे। इसके अलावा, राष्ट्रपति की ओर से अधिकृत सदस्य को भी यह जिम्मेदारी दी सकती है।

उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जल्द से जल्द कराना होगा। संविधान के अनुसार, मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्य किसी कारण से उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र कराने का प्रावधान है।

कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। वीवी गिरि ने 20 जुलाई, 1969 और आर वेंटकरमन ने 24 जुलाई, 1987 को पद से इस्तीफा दिया था, दोनों ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए यह कदम उठाया था। जबकि पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था।

199 करोड़ रु. के चंदे पर कांग्रेस को टैक्स देना ही होगा

नई दिल्ली, 22 जुलाई। कांग्रेस को पार्टी फंड में पड़े 199 करोड़ रुपये पर इनकम टैक्स देना होगा। इसके लिए पार्टी को राहत नहीं मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या आईटीएटी ने आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने और नकद दान सीमा के उल्लंघन के कारण पार्टी के छूट के दावे को खारिज कर दिया है।

क्या जगदीप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याद दिला दें कि पिछले दिसंबर में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन यह इसलिए खारिज हो गया क्योंकि जयराम ने उनका नाम गलत लिखा और 14 दिन की पूर्व सूचना भी नहीं दी गई।

यह बात "मैच फिक्सिंग" का सबसे खुला उदाहरण मानी गई।

राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ को पक्षपाती माना गया - विपक्ष के लिए अनुचित, नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करने वाला, और सरकार का खुला समर्थन करने वाला। इसलिए उनके खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया था।

लेकिन अब हालात बदल गए हैं - अब सरकार ही उनके खिलाफ़ हो गई है। कहानी में नया मोड़ आ चुका है, और कहा जा रहा है कि अब कर्मों का फल मिल रहा है।

मुम्बई ट्रेन धमाकों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दी है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई करने का मंगलवार को अनुरोध किया। विशेष उल्लेख के दौरान मेहता ने पीठ के समक्ष यह कहते हुए कि विशेष अनुमति याचिका तैयार है, कृपया इसे कल सूचीबद्ध करें। यह अत्यावश्यक याचिका है। इस पर पीठ ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

गौरतलब है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 जुलाई, 2006 को सात बम विस्फोट हुए थे। इस दुखद घटना में 189 लोग मारे गए थे और 820 यात्री अपंग हो गए। शाम की भीड़भाड़ के दौरान बमों के रुक-रुक कर फटने की घटना ने ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाया।

मिग-21 की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बनाया था) को गिराया था। ये विमान रूस ने बनाया है कि लेकिन इसमें कई खामियों की वजह से ये क्रैश कर जाता है। इस विमान को रूस ने 1985 में रिटायर कर दिया था। यहां तक कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी इस विमान को रिटायर कर दिया है।

श्री डूंगरगढ़ में दो कारों की भिड़ंत में पाँच की मौत

बीकानेर, 22 जुलाई (निसं)। श्रीडूंगरगढ़ के सिखवाल उपवन के पास नेशनल हाइवे-11 पर दो कारों की भिड़ंत में पांच लोगों की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रुप से घायल हो गये। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ियों में फंसे घायलों को निकालने के लिए गाड़ी को काटना पड़ा। जानकारी के अनुसार, एक कार में सवार चार लोग खाटूश्यामजी से दर्शन कर लौट रहे थे। हादसा श्रीडूंगरगढ़ के सिखवाल उपवन के पास सोमवार देर रात 11 बजे नेशनल हाइवे-11 पर हुआ। श्रीडूंगरगढ़ शहर के पास हुई इस दुर्घटना में दोनों कार पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। पुलिस ने बताया कि एक-दो घायल कांच तोड़ते हुए सड़क पर आ गिरे। जानकारी के अनुसार एक कार में सवार अभयसिंह पुरा निवासी करण, बिग्गा निवासी दिनेश जाखड़ और

■ **भिड़ंत इतनी तेज थी कि गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को निकालने के लिए गाड़ी को काटना पड़ा।**

श्रीडूंगरगढ़ निवासी मदन सारण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बिग्गा निवासी मनोज जाखड़ की बीकानेर ले जाते समय मौत हो गई। ये सभी लोग खाटूश्याम मंदिर दर्शन करने गए थे।

दूसरी कार में बैठे नापासर निवासी मल्लू उर्फ महालचंद भार्गव ने भी हादसे में दम तोड़ दिया। इसी कार में सवार नापासर निवासी संतोष कुमार, नापासर निवासी सुरेन्द्र, जितेन्द्र, लालचंद घायल हो गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया।

विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के विधेयक को रोके रखना) या "एब्सोल्यूट वीटो" (पूर्ण अस्वीकृति) की कोई अवधारणा नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई निष्क्रियता नहीं हो सकती, और जब भी कोई विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह संविधान के तहत उपलब्ध तीन विकल्पों में से किसी एक को अपनाने के लिए बाध्य हैं - या तो सहमति दें, या असहमति जताकर विधेयक पुनर्विचार हेतु विधानसभा को लौटाएँ, या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को रिज़र्व करें।

अदालत ने आगे कहा कि यदि राज्यपाल असहमति जताते हैं, तो उन्हें अनुच्छेद 200 की पहली व्याख्या के अनुसार यथाशीघ्र विधेयक को संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु विधानसभा को लौटाना होगा।

इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की।

राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि वह पुनर्विचार के बाद विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक को अपनी सहमति दें। इस पर सहमति देने के लिए अदालत ने एक महीने की समयसीमा तय की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "अनुच्छेद 200 की कोई भी ऐसी व्याख्या, जो अनिश्चितकालीन निष्क्रियता की अनुमति देती है, वह विधायी प्रक्रिया और जन-इच्छा को बाधित करेगी।"

15 मई, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दायर संदर्भ में अप्रैल 8 के निर्णय से उत्पन्न हुए 14 संवैधानिक प्रश्नों को चिन्हित किया गया।

इनमें प्रमुख सवाल थे: क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर सहमति देने के लिए समयबद्ध आदेश दे सकती है? क्या विलंब की स्थिति में संविधान में "स्वत: सहमति" की कोई अवधारणा है? क्या अनुच्छेद 200 और 201 की न्यायिक समीक्षा या आदेशों के लिए व्याख्या की जा सकती है?

संदर्भ का कहना है कि संविधान न्यायपालिका को ऐसा कोई स्पष्ट अधिकार नहीं देता और अप्रैल 8 के निर्णय ने एक ऐसा ढांचा बना दिया जो कार्यपालिका के स्वविवेक के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।

मंगलवार की सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल (केरल की ओर से) और वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन (तमिलनाडु की ओर से) ने इस संदर्भ का विरोध किया और इसकी वैधता पर सवाल उठाए। वरिष्ठ अधिवक्ता विल्सन ने कहा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में उठाए गए सभी 14 प्रश्नों का उत्तर सुप्रीम कोर्ट पहले ही विभिन्न निर्णयों में, विशेष रूप से 8 अप्रैल, 2025 के तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के मामले में दे चुका है।

भाजपा सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार उन्हें नजरअंदाज़ कर रही है और उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा, जो मिलना चाहिए।

उन्होंने वरिष्ठ वकीलों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ एक डिनर मीटिंग में यह साफ़-साफ कहा कि देश के मामलों को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, उससे वे संतुष्ट नहीं हैं।

कहा जाता है कि जब उन्हें प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी मिली, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जब सरकार ने उनका इस्तीफ़ा सार्वजनिक नहीं किया, तो उन्होंने स्वयं रात 9:30 बजे अपने ट्विटर पर यह जानकारी साझा कर दी।

धनखड़ आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और उसकी सिफारिश पर ही उन्हें पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बनाया गया था।

धनखड़ किसानों और वंचित वर्गों की आवाज़ उठाते थे, जो मोदी सरकार को पसंद नहीं आया।

कोटा में कोचिंग सेंटरों में छात्रों की आत्महत्याओं पर उनकी सख्त टिप्पणी और शिक्षा की इन दुकानों (कोचिंग सेन्टरर्स) के काम करने के तरीक़े पर उनकी आलोचना से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला नाराज़ हो गए, जो खुद कोटा से हैं और माना जाता है कि वे खुद कई ऐसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं।

बताया गया है कि उन्होंने अपने ग़ुस्से की जानकारी केन्द्रीय गृहमंत्री को दे दी थी, जिससे धनखड़ के साथ एक और टकराव हो गया।

इस समय, प्रधानमंत्री का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी टकराव चल रहा है, तो क्या धनखड़ का मामला भी उसी का हिस्सा है?

वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ऐसे बहुत से सवाल बहुत हैं।

ब्रिटिश नौसेना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तकनीकी खराबी के कारण यह उड़ान नहीं भर सका था। भारतीय वायुसेना ने भी विमान को जरूरी मदद मुहैया कराई। विमान में ईंधन भरा गया। इसके बावजूद यह उड़ान नहीं भर सका। आखिर में यूके रॉयल एअर फोर्स की एक टैक्नीकल टीम आई और हैंगर में फाइटर जेट को ठीक करने का काम शुरू हुआ। एफ-35 की वापसी पर ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने भी भारत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, "भारतीय एअरपोर्ट प्रशासन समेत पूरी टीम ने एफ-35 को ठीक करने में अहम योगदान दिया है। इस मदद के लिए ब्रिटेन हमेशा भारत का आभारी रहेगा।"

राजस्थान हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जा रहा है।

संदीप तनेजा वर्तमान में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त हैं और जयपुर पीठ में राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं। वहीं, बिपिन गुप्ता, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंघी भी जयपुर पीठ में नियमित वकालत करते हैं, जबकि बलजिन्दर सिंह व संजीत पुरोहित हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में प्रैक्टिस करते हैं। न्यायिक अधिकारी संगीता शर्मा फिलहाल अजमेर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं। सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के काम की रफ्तार में काफी तेजी आएगी। फिलहाल हाईकोर्ट में करीब 6 लाख साठ हजार मुकदमे लंबित हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर साल 2025 बेहद अच्छा साबित हुआ है। हाईकोर्ट को इस साल अब तक करीब 15 जज मिल चुके हैं। जनवरी, 2025 में तीन, फरवरी माह में एक और मार्च माह में हाईकोर्ट जज के तौर पर चार नियुक्ति हो चुकी हैं। वैसे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है।

क्या वरिष्ठ जेडीयू नेता हरिवंश सिंह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर विचार किया जा रहा है। हरिवंश, एक पत्रकार से राजनेता बने धीर-गंभीर व्यक्ति हैं, सभी दलों में उनकी अच्छी छवि है और उनका पदोन्नयन राज्यसभा में तनावों को कम करने में मदद कर सकता है।

एनडीए गठबंधन की दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, भाजपा कथित तौर पर यह विचार कर रही है कि उपसभापति का पद तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) को दिया जाए। वर्ष 2019 में हुए कटु विभाजन के बाद, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में लौटने के साथ, भाजपा रणनीतिकार मानते हैं कि संसद में, टीडीपी जैसे किसी सहयोगी दल को सशक्त बनाने से गठबंधन की स्थिरता का संकेत मिल सकता है, जो बिहार चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र महत्वपूर्ण हो सकता है।

लेकिन मौजूदा राजनीतिक हलचल केवल संसद तक ही सीमित नहीं है। भाजपा के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर एक समानान्तर रस्साकशी चल रही है। जे.पी. नड्डा का बढ़ाया गया कार्यकाल जल्दी ही समाप्त हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरंतरता और केन्द्रीयकृत नियंत्रण के पक्षधर माने जा रहे हैं। लेकिन आरएसएस इसका विरोध कर रहा है, वह पार्टी के इस शीर्ष पद के लिए अपनी सोच पर जोर दे रहा है।

इस संदर्भ में, संजय जोशी का नाम फिर से उभरकर सामने आया है, जो लंबे समय से आरएसएस के निष्ठावान कार्यकर्ता और एक समय भाजपा के प्रमुख संगठनकर्ता रहे हैं। मोदी ने एक दशक पहले आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के कारण जोशी को दरकिनार कर दिया था, लेकिन संघ अब भी उन्हें उच्च सम्मान देता है। जोशी को भाजपा अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट करके, संघ यह संकेत दे सकता है कि वह पार्टी का वैचारिक नियंत्रण फिर से हासिल करना चाहता है, खासकर ऐसे समय, जब मोदी के खेमे में चुनावी गणित और रियलपॉलिटिक निर्णय लेने में महती भूमिका निभाना महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपनी प्रतिष्ठा को पुन: स्थापित करने के लिए जोशी को भाजपा के सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं।

इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि धनखड़ का इस्तीफा सत्ता के एक बहुत बड़े मंथन की केवल एक सतही घटना है। चूँकि भाजपा और संघ, सत्ता के उत्तराधिकार, गठबंधन प्रबंधन और आंतरिक असहमति की जटिलताओं से जूझ रहे हैं, इसलिये आने वाले दिनों में और भी अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

इस समय, सभी की नजरें राज्यसभा के नए अध्यक्ष और भाजपा के अगले अध्यक्ष पर हैं, ये दोनों ही निर्णय भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आयेंगे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600